

दिनांक 23.01.2017 एवं 24.01.2017 को विभागीय सभाकक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में कृषि निदेशालय एवं भूमि संरक्षण निदेशालय से संबंधित कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी में संघारित।

1. कृषि यांत्रिकीकरण :-

1.1 कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलावार दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि दयनीय है। बैठक में उपस्थित सभी जिला कृषि पदाधिकारियों/प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास किया जाय। इसके लिए यांत्रिकीकरण मेला आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्वीकृति पत्र की हार्ड प्रति सम्बंधित कृषकों को हस्तगत करायी जाय, ताकि यंत्र क्रय करने हेतु उनके द्वारा ससमय राशि की व्यवस्था की जा सके।

(अनु0-सभी संयुक्त निदेशक, शष्य/जिला कृषि पदाधिकारी)

1.2 राज्य योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक राज्य में कुल 170942 कृषकों से आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें से कुल 80,685 कृषकों को परमिट निर्गत किया गया है। कृषकों से प्राप्त आवेदन में सुपौल, जमुई, खगड़ियाँ, मुंगेर, रोहतास, लखीसराय एवं मधेपुरा की स्थिति तथा परमिट निर्गत में बक्सर, दरभंगा, जमुई, खगड़ियाँ, मधेपुरा, मुंगेर एवं अररिया की स्थिति दयनीय पायी गई। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार कृषकों से आवेदन पत्र लिया जाय तथा ससमय परमिट निर्गत किय जाय। जिलों में आयोजित होने वाले कृषि यांत्रिकीकरण मेला के एक दिन पूर्व किसानों को सूचित करने के साथ-साथ डीलरों की बैठक करने का भी निदेश दिया गया है।

(अनु0-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.3 कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि कुछ कृषि यंत्र विक्रेताओं द्वारा समय पर यंत्र विक्री संबंधित सूचना सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं किये जाने के कारण सत्यापन में विलम्ब हो रहा है। तदोपरान्त सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य को निदेश दिया गया कि कृषि यंत्र के डीलरों की बैठक कर उन्हें यंत्र के विक्रय उपरांत 48 घंटा के अन्दर सॉफ्टवेयर में अपडेशन का कार्य करने का निदेश दिया जाय। यदि वे ऐसा नहीं रहते हैं तो उन पर कार्रवाई करने तथा उन्हें काली सूची में डालते हुए इसकी सूचना सभी डीलरों एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दी जाय।

(अनु0-सभी संयुक्त निदेशक, शष्य)

1.4 कृषि यांत्रिकीकरण मेला के पूर्व कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को पंचायत स्तर पर किसान के साथ बैठक कर उन्हें योजना एवं मेला की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.5 कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन हेतु किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड देने का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात निदेश दिया गया कि कृषि समन्वयक ही कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे। राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण को सभी जिला हेतु कृषि समन्वयकों को पासवर्ड देने तथा सॉफ्टवेयर को 10 दिनों तक खुला रखने का निदेश दिया गया।

(अनु0-राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

1.6 सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों को बताया गया कि कृषि रोड मैप के दो कृषि यंत्रों जीरोटिलेज एवं पावर टीलर को मांग आधारित किया गया है तथा लक्ष्य को भी बढ़ाया जा रहा है।

(अनु0-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.7 कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा कम्बाईन हार्वेस्टर को मांग आधारित करने एवं अतिरिक्त लक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो निम्न प्रकार है:- जहानाबाद(05) नालन्दा-(05) नवादा(10), शेखपुरा(14), गया (10) लखीसराय (04), औरंगाबाद (05) रोहतास (30) बक्सर (25) एवं कैमूर (29)

1.8 समीक्षा के क्रम में राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण को रा0खा0सु0मि0 तथा हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण योजना का लक्ष्य को कृषि यांत्रिकरण के सॉफ्टवेयर में डालने का निदेश दिया गया। राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण द्वारा बताया गया कि कतिपय यंत्रों में अनुदान दर राज्य योजना से भिन्न है। इसलिए सॉफ्टवेयर में संशोधन हेतु एन0आई0सी0 को निदेश दिया जा चुका है ताकि उक्त योजनाओं का लक्ष्य फीड हो सके।

(अनु0-राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

1.9 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि SMAM योजनान्तर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की स्वीकृति भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, शेखपुरा, सहरसा, वेगूसराय, गया एवं मधेपुरा जिले में नहीं हो पाई है। इस पर कृषि निदेशक द्वारा खेद व्यक्त किया गया तथा शीघ्र ही कृषि यंत्र बैंक स्थापित कर राशि का व्यय सुनिश्चित करने का निदेश सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

1.10 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि से जिन जिलों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया गया है, उन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे राशि का भुगतान कर अभिश्रव की अभिप्रमाणित छायाप्रति अपने जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा के माध्यम से बामेती कार्यालय में सात (07) दिनों के अंदर जमा करा दें।

(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

1.11 कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना (2017-18) के लिए प्रस्तावित योजना का लक्ष्य सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को Communicate करने का निदेश राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण को दिया गया, ताकि जिला द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयारी कर ली जाय।

(अनु0-राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

1.12 वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक पंचायत में लक्ष्य से अधिक वितरित कृषि यंत्रों का दूसरे पंचायत के कृषि समन्वयक से सत्यापन कराने सम्बंधी प्रतिवेदन मात्र शेखपुरा, कैमूर, नालन्दा एवं दरभंगा जिलों से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसे अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

1.13 दिनांक 22-25, फरवरी, 2017 तक गाँधी मैदान, पटना में एग्री बिहार मेला का आयोजन होने वाला है। इस सम्बंध में अभी से तैयारी करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

(अनु0-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2 बीज

2.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में स्वीकृत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट बीज वितरण एवं प्रमाणित बीज कार्यक्रम अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 4825.43 लाख रू0 के विरुद्ध अभी तक मात्र 427.61 लाख रू0 की निकासी कोषागार से की गयी है। कोषागार से निकासी की गयी राशि की स्थिति भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, मधेपुरा, किशनगंज अररिया, कटिहार एवं खगड़िया में बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर राशि की निकासी कर संबंधित कृषकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

- 2.2 सूचित किया गया कि बीज योजना के राज्य योजना के विपत्र कोड से ही RKVY के BGREI योजना तथा NFSM योजना अन्तर्गत बीज अनुदान का टॉप-अप दिया गया है। इसलिए निदेश दिया गया कि इन योजनाओं अन्तर्गत निकासी की गयी राशि का संधारण अलग-अलग की जाय तथा संबंधित कोषांग को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- 2.3 गरमा 2017 में हरी खाद योजना अन्तर्गत वितरित होने वाले मूंग, ढेंचा, सनई एवं लोबिया बीज हेतु जिला में लगने वाले क्षेत्र एवं बीज की मात्रा का आकलन कर बीज की आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 27.01.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 2.4 बिहार विधान सभा की कृषि उद्योग विकास समिति द्वारा वर्ष 2016-17 का योजनावार, जिलावार एवं प्रखंडवार बीज का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि का प्रखंडवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय के पत्रांक 5653 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-कंडिका 2.1 से 2.4-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

- 3 जिला सिंचाई योजना:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक जिला सिंचाई योजना पटना, अररिया, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, दरभंगा एवं लखीसराय से अप्राप्त है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब जिला सिंचाई योजना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कुछ जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा C.D. उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें C. D. में भी जिला सिंचाई योजना का सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

- 4.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 6663.369 लाख रु० में से CTMIS के अनुसार अभी तक मात्र 2749.96 लाख रु० की निकासी की गई है। निकासी की स्थिति मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी में शून्य है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब कोषागार से राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

(अनु०-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

- 4.2 हरित क्रांति योजना अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक, तत्व, जैव उर्वरक, जिप्सम/फास्फोजिप्सम पौधा संरक्षण रसायन, जैव कीटनाशी एवं खरपतवार नाशी की उपलब्धि अधिकांश जिलों में बहुत कम हुई है। इन घटकों में भी उपलब्धि कर अनुदान की राशि कृषकों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. अन्न भंडारण राज्य योजना:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना अन्तर्गत धातु कोठिला का वितरण की भौतिक उपलब्धि अभी तक नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, आरवल, भागलपुर एवं कटिहार में शून्य है। निदेश दिया गया अविलम्ब धातु कोठिला का वितरण कर अनुदान की राशि कृषकों को उपलब्ध कराया जाय।

(अनु०-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. दियारा विकास योजना:- इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 967.01 लाख रु० के विरुद्ध अभी तक मात्र 62 लाख रु० की निकासी हुई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण एवं सिवान में वित्तीय उपलब्धि शून्य है। निदेश दिया गया कि इस योजना के मुख्य घटक पी०भी०सी० पाईप बोरिंग की अविलम्ब उपलब्धि की जाय, ताकि अधिक से अधिक वित्तीय उपलब्धि हो सके।

(अनु०-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)



7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :-

- 7.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल उपलब्ध राशि 13255.21 लाख रुपये एवं कुल आवंटित राशि 5758.34 लाख रुपये में से सी0टी0एम0आई0एस0 के अनुसार अभी तक मात्र 236.75 लाख रुपये की निकासी कोषागार से की गई है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कोषागार से राशि की निकासी कर व्यय प्रतिवेदन भेजा जाय, ताकि भारत सरकार से दूसरी किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु अनुरोध किया जा सके।
- 7.2 सूचित किया गया कि दिनांक 20.01.2017 को 12.00 बजे मध्याह्न तक चावल कार्यक्रम का प्रतिवेदन समस्तीपुर से, गेहूँ कार्यक्रम का भोजपुर से, दलहन कार्यक्रम का भोजपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, जहानाबाद, शेखपुरा एवं बांका से तथा कोर्स सिरियल कार्यक्रम का प्रतिवेदन भागलपुर, समस्तीपुर एवं खगड़िया से प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण राज्य स्तर का सही संकलित प्रतिवेदन तैयार नहीं हो सका। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- 7.3 वर्ष 2016-17 में खरीफ मौसम में कार्यान्वित विभिन्न फसल प्रत्यक्षण का फसल कटनी प्रतिवेदन एवं सफलता की कहानी भेजने का निदेश दिया गया।
- 7.4 वर्ष 2016-17 में रबी मौसम में कार्यान्वित विभिन्न फसल प्रत्यक्षण से संबंधित चयनित गाँव/कलस्टर की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 7.5 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का लेखा संधारण केन्द्रांश, राज्यांश एवं राज्य योजना मद का फसलवार अलग-अलग करने का निदेश दिया गया।
- 7.6 गरमा मौसम 2016-17 में कार्यान्वित होने वाले योजनाओं के अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण, बीज उत्पादन एवं अनुदान पर बीज एवं अन्य उपादान वितरण हेतु आधार/प्रमाणित बीज सहित सभी उपादानों विशेष रूप से दलहन बीज का लक्ष्यानुसार मात्रा का आकलन कर समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अभी से ही कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
- 7.7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अन्तर्गत आवंटित राशि 31 जनवरी 2017 तक तथा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करने का निदेश दिया गया।
- 7.8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत पुनरीक्षित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने हेतु गरमा मौसम में कार्यान्वयन के लिये कार्य योजना तैयार कर शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया तथा सुझाव दिया गया कि फसलवार एवं कार्य घटकवार किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर जवाबदेही तय कर तथा 80% प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनु0-कंडिका 7.1 से 7.8-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8. सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना :- इस योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 809.95 लाख रुपये के विरुद्ध अभी तक मात्र 339.09 लाख रुपये (42%) की निकासी कोषागार से की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, बांका, किशनगंज, पश्चिम चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण द्वारा सूचित किया गया कि इनके जिला में यह योजना कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन्हें स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। शेष जिला कृषि पदाधिकारी से 31 जनवरी, 2017 तक शत-प्रतिशत राशि की निकासी करने तथा अंतिम प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

9. जिरोटिलेज गेहूँ प्रत्यक्षण (राज्य योजना) :- इस योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 1657.60 लाख रुपये के विरुद्ध अभी तक मात्र 336.87 लाख रुपये की (20%) की निकासी कोषागार से की गई है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिनांक 31 जनवरी 2017 तक कार्य के विरुद्ध राशि की निकासी कर लाभान्वित कृषकों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

